न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 47 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. आसूराम पुत्र कलाराम जाति जाट निवासी रातड़िया भणियाणा जिला जैसलमेर
2. नगाराम पुत्र कलाराम
3. पेमाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी, उण्डू तहसील शिव

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.भैराराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी पांचा की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

2.हरचन्दराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

3.भंवरलाल पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी समदड़ी रोड़, जाटावास कॉलोनी बालोतरा

4.रामदेव पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी बायतु भोपजी तहसील बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

5.भीखाराम पुत्र सोनाराम के का.मुकाम

5 / 1नेनाराम पुत्र भीखाराम

5 / 2धन्नी पत्नी भीखाराम जाति जाअ निवासी सुन्तला तहसील गिडा जिला बाड़मेर।

6.चैनाराम पुत्र सोनाराम

7.गजाराम पुत्र हेमाराम

8.मीरा बेवा हेमाराम जाति जाट निवासी पांचा की ढाणी तहसील गिड़ा

9.हनुमानराम पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी गोगाजी का मंदिर के पास, बालोतरा।

10.मोहन पुत्र गुमनाराम

11.गणेश पुत्र गुमनाराम

12.लाछी बेवा गुमनाराम

13.गोमाराम पुत्र बूधराराम

14.प्रहलादराम पुत्र बुधराराम फौत का.मु.

14 / 1हुकमाराम पुत्र प्रहलादराम

14 / 2अनिल कुमार पुत्र प्रहलादराम

14 / 3मूली पत्नी प्रहलादराम जाति जाट निवासी पांचा की ढाणी तहसील गिड़ा

15.मंगलाराम पुत्र कलाराम

16.मंगनाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी पांचा की ढाणी तहसील गिडा

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिला बाड़मेर।
17.जोराराम पुत्र केहराराम फौत का.मु.
17/1हिमथाराम पुत्र जोराराम
17/2पूरोंदेवी पत्नी जोराराम जाति जाट निवासी मूढणों की ढाणी,उण्डू तहसील शिव जिला बाड़मेर।
18.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/2015 बअनवान भैराराम बनाम हरचन्दराम वगैरा में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.11.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री रिणछाराम सियाग अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— **19.08.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा पांचा की ढाणी पटवार क्षेत्र हीरा की ढाणी तहसील गिडा में खसरा संख्या 318 रकबा 46.05 बीघा वादी का 1/3 हिस्सा, खसरा संख्या 311 रकबा 27.10 बीघा व खसरा संख्या 328 रकबा 48.01 बीघा में वादी का 2/9 हिस्सा, व मौजा चक निम्बा की ढाणी में खेत खसरा संख्या 06 रकबा 36.16 बीघा, खसरा संख्या 18 रकबा 86.05 बीघा में वादी का 1/12 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है तथा इसी अनुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण (प्रतिवादीगण संख्या 4, 6 व 7) के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुऐ तथा न ही डाक द्वारा प्रेषित सम्मन तामिल हुऐ तथा न ही अपीलांट को सम्मन प्राप्त होने बाबत पावती अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने डाक से सम्मन प्रेषित करने का समय एक माह से अधिक होने के आधार पर नोटिस तामिल मानते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 03.02.2016 को अमल में लाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2017 पारित की गई। अपीलांट आसूराम, मंगलाराम के नाम से दिनांक 13.04.2015 को जारी सम्मन में आगामी पेशी तारीख दिनांक 08.06.2015 अंकित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में 08.06.2015 को कोई नियत पेशी तारीख ही नहीं थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा अपीलांट नगाराम, पेमाराम, जोराराम के सम्मन में आगामी पेशी तारीख ही अंकित नहीं है मात्र 05 वर्ष 2015 अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में कार्यवाही की है तथा अपीलांटगण से विधिवत तामिल करवाने की कोई कार्यवाही ही नहीं की गई है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा संख्या 311 में अपना हिस्सा 1/6 के स्थान पर 2/9 हिस्सा होना दर्शाते हुऐ घोषणा की हस्तदुआ चाही गई है जबकि इस संबंध में उतरदाता संख्या 01 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है तथा न ही वाद में वंश वृक्ष दर्शाया गया है तथा किस आधार पर वादी ने हिस्से दर्ज किये है इसका कोई उल्लेख वाद में नहीं है तथा वाद के साथ मात्र कम्प्यूटर से निकाली गई जमाबंदी ही पेश की गई जिस जमाबंदी पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अमान्य दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णय करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित व स्थापित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमजी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण (प्रतिवादीगण संख्या 4, 6 व 7) के नाम से जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से तामिल नहीं हुऐ तथा न ही डाक द्वारा प्रेषित सम्मन तामिल हुऐ तथा न ही अपीलांट को सम्मन प्राप्त होने बाबत पावती अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने डाक से सम्मन प्रेषित करने का समय एक माह से अधिक होने के आधार पर नोटिस तामिल मानते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 03.02.2016 को अमल में लाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15.11.2017 पारित की गई। अपीलांट आसूराम, मंगलाराम के नाम से दिनांक 13.04.2015 को जारी सम्मन में आगामी पेशी तारीख दिनांक 08.06.2015 अंकित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में 08.06.2015

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को कोई नियत पेशी तारीख ही नहीं थी तथा अपीलांट नगाराम, पेमाराम, जोराराम के सम्मन में आगामी पेशी तारीख ही अंकित नहीं है मात्र 05 वर्ष 2015 अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आनन फानन में कार्यवाही की है तथा अपीलांटगण से विधिवत तामिल करवाने की कोई कार्यवाही ही नहीं की गई है। उतरदाता संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद में खसरा संख्या 311 में अपना हिस्सा 1/6 के स्थान पर 2/9 हिस्सा होना दर्शाते हुऐ घोषणा की हस्तदुआ चाही गई है जबकि इस संबंध में उतरदाता संख्या 01 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है तथा न ही वाद में वंश वृक्ष दर्शाया गया है तथा किस आधार पर वादी ने हिस्से दर्ज किये है इसका कोई उल्लेख वाद में नहीं है तथा वाद के साथ मात्र कम्प्यूटर से निकाली गई जमाबंदी ही पेश की गई जिस जमाबंदी पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अमान्य दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णय करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दु कायम नहीं किये गये तथा बिना विवाद्यक बिन्दु कायम किये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निर्धारित व स्थापित किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन न कर अपनी मनमजी से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि पक्षकारान के सभी खसरान के खेतो का विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें कोई खसरा छोड़ा नहीं गया तथा जिस प्रकार खसराजात में हिस्से दर्ज हैं उसी अनुसार प्रत्येक खातेदार के हिस्सा अनुसार ही एवं पक्षकारान के वंशवृक्ष अनुसार जिस परिवार को जितने हिस्सा की भूमि आती है उसी अनुसार एवं प्रत्येक खातेदार के कब्जा अनुसार ही विभाजन करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसमें सभी खसराजात में धोरे वाली व कम उपजाउ व ज्यादा उपजाउ सभी का सही रूप से अनुपात कर विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को पूर्ण सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्र जारी की गई। अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर यह निवेदन किया है कि उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में आई जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जबकि सी पी सी में यह प्रावधान आदेश 09 नियम 13 के तहत उसी न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपने विरूद्ध हुई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करवा कर अनुतोष प्राप्त कर सकता था लेकिन अपीलांटस ने उसी न्यायालय में वाराजोही नही करने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलांटस ने यही अनुतोष चाहा है कि मुझे सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावें जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 19.08.2019 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश कर निवेदन किया गया है कि हस्तगत अपील में विवादित भूमि के संबंध में खतौनी बन्दोबस्त की नकले रेकर्ड से अब प्राप्त होने पर श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। इन दस्तावेजात का सम्बन्ध वादग्रस्त आराजी से है। ये दस्तावेज सरकारी रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां है जिनकी सत्यता पर सन्देह नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत दस्तावेजात से माननीय न्यायालय को अन्तिम न्याय निर्णय तक पहुंचने में सहायता मिलेगी। इस वजह से न्यायहित में रिकोर्ड पर लेना आवश्यक एवं उचित है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जबाव में अपीलांटगण ने बताया कि उतरदाता द्वारा दस्तावेजात सूची प्रस्तुत करने से इस अपील के न्याय निर्णय करने में कोई सहायक सिद्ध नहीं होगा। न्यायालय का समय जाया करने हेतु पेश की गई जिसको पेश करना कोई आवश्यक नहीं है। अतः उतरदाता द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज फरमया जावे।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 पर बहस सुनी गई बहस सुनने एवं प्रार्थना–पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से पाया कि रेस्पोडेंट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 को न्यायाहित में ग्रहण किया जाता है और प्रस्तुत दस्तावेज सुसंगत होने से रिकॉर्ड पर लेने हेतु रेस्पोडेंट को अनुज्ञात किया जाता है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अरसा 15 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण पुराने कब्जे काष्त अनुसार सुड़ करने से रोका तथा कहा कि मैने भूमि का कानूनी रूप से न्यायालय से बंटवाड़ा करवाया है उसी अनुसार मौके पर विभाजन करने के बाद ही सुड़ आदि

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करना। जिस पर अपीलांटगण को अपने हक हकुक संशप्रद लगे तथा न्यायालय में जाकर अधिवक्ता के जरिये पता करवाया तथा अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता के दिनांक 10.06.2019 को वाद व प्राथमिक डिक्री की नकले प्राप्त की तो अपीलांटगण को सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। विलम्ब के जो कारण दिये है वे विश्वसनिय नहीं हैं, अपीलांटस की और से इसका अर्थ यही हैं कि अपीलांटस को वाद का ज्ञान था तथा यह पक्षकार का कर्तव्य हैं कि वह जागरूक रह कर अपने प्रकरण की प्रगति अपने अधिवक्ता से प्राप्त करे। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर इसे खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी/अपीलांटगण को जारी सम्मन में न्यायालय में उपसंजात होने के लिए निर्दिष्ट तिथि का स्पष्ट अंकन नहीं है। इससे प्रतिवादी पक्ष को न्यायालय में उपस्थिति बाबत संशय होना स्वाभाविक है। **विधि की दृष्टि से उन पर सम्यक तामील नहीं मानी जा सकती। उनको बिना सूचना किये किया गया निर्णय एकतरफा एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। वाद विचारण में तनकी कायम की जाकर बाद विवेचन तनकीवार भी निर्णय नहीं किया गया है जो वाद की प्रक्रियागत कमी है।** उपरोक्त तथ्यों के आधर पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है और मामला रिमाण्ड योग्य ठहरता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/2015 बअनवान भैराराम बनाम हरचन्दराम वगैरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.11.2017 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रतिवादीगण पर सम्मन की सम्यक तामील सुनिश्चत करते हुए जबावदावा लेकर बाद तनकी कायमी साक्ष्य–सबूतों के आधार पर समुचित सुनवाई कर गुणावगुण के आधर पर निर्णय पारित करे।

19/8/19

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner